

19/11/24

वकील का प्र.। वकील उपपत्त की
कदम चुनी गई। वकील उपपत्त
इस बार पर सदस्य वृ लि
इस न्यायालय द्वारा विना क 4.5.15
के जारी की गई। शरमा की
निषेधाज्ञा पर दायो पत्र मूठ
बाद के निस्तारण। त क यमास्त्री
कनापे रखेंगे। इतः विना क 4.5.15
के जारी की गई। शरमा की निषेधाज्ञा
के कनापे किया जाता है।

पत्र व की पौ न र गुमार हो कर
नगर से का हो।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

